रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML/2005.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मगलवार, 19 अप्रैल, 2005/29 चैत्र, 1927

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला–171 004, 19 अप्रैल, 2005

संख्या वि0 स0 विधायन–गवर्नमैंट बिल/1–30/2005.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विधान सभा

(सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन विधेयक, 2005 (2005 का विधेयक संख्यांक–14) जो आज दिनांक 8 अप्रैल, 2005 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व–साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

जे0 आर0 गाज़टा,
सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा ।

2005 का विधेयक संख्यांक 14

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन विधेयक, 2005

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) अधिनियम, 1971 (1971 का 8) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक** ।

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन अधिनियम, 2005 है ।

धारा 4–ङ का प्रतिस्थापन।

2. हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) अधिनियम, 1971 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'मूल अधिनियम' कहा गया है) की धारा 4–ङ के स्थान पर निम्नलिखित नई धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :–

1971 का 8

" 4–ङ.–भूतपूर्व सदस्यों को गृह निर्माण अग्रिम.—ऐसे भूतपूर्व सदस्यों को, जिन्होंने सदस्य के रुप में गृह निर्माण अग्रिम की सुविधा प्राप्त नहीं की है, गृह निर्माण के लिए या बने बनाए गृह का क्रय करने के लिए, प्रतिसंदेय अग्रिम के रूप में ऐसी धनराशि, ऐसी शर्तों के अध्याधीन, जैसी इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा अवधारित की जाए, संदत्त की जा सकेगी ।

4–च.–मोटर कार के क्रय के लिए अग्रिम उधार.– ऐसे भूतपूर्व सदस्यों को, जिन्होंने सदस्य के रूप में मोटर कार अग्रिम की सुविधा प्राप्त नहीं की है, मोटर कार का क्रय करने के लिए, प्रतिसंदेय अग्रिम के रूप में ऐसी धन राशि, ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जैसी इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा अवधारित की जाए, संदत्त की जा सकेगी । " ।

धारा 6–ख का संशोधन।

3. **मूल अधिनियम की धारा 6–ख में,–**

(क) उप–धारा (1) में ,–

(i) " एक हजार पांच सौ " शब्दों के स्थान पर " पांच हजार" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) प्रथम परन्तुक में "एक सौ पचास" शब्दों के स्थान पर " दो सौ" शब्द रखे जाएंगे ; और

(iii) द्वितीय परन्तुक का लोप किया जाएगा ; और

(ख) उप–धारा (5) में "न्यूनतम 1500/– रुपये प्रतिमास (1–1–1996 के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1510 तक महंगाई राहत सहित) के अध्यधीन " शब्दों, चिन्हों, अंकों तथा कोष्ठक का लोप किया जाएगा ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

निर्वाह व्यय और उन यथेष्ट खर्चों, जो कि राज्य विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों को लोक जीवन की विभिन्न मांगों के कारण उपगत करने पड़ते हैं, में तीव्र वृद्धि के कारण उनकी पेन्शन के पुनरीक्षण के लिए लगातार मांग रही है और विधान सभा सदस्य सुख सुविधाएं समिति (ॲमीनिटिज़ कमेटी) ने भी उनकी पेन्शन के पुनरीक्षण के लिए सिफारिश की है, इसलिए उस प्रत्येक सदस्य, जिसने किसी भी अवधि के लिए पांच वर्ष तक सेवा की है की पेन्शन को तीन हजार सात सौ बीस रूपए से (1–1–1996 के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1510 तक मंहगाई राहत सहित) बढ़ाकर पांच हजार रूपए प्रतिमास करने तथा प्रथम कार्यकाल की अवधि से अधिक प्रत्येक वर्ष के लिए अतिरिक्त पेन्शन को भी एक सौ पचास रूपए से बढ़ाकर दो सौ रूपए प्रतिमास करना अनिवार्य समझा गया है । और यह कि भूतपूर्व सदस्यों को, जिन्होंने सदस्य के रूप में मोटर कार अग्रिम की ऐसी सुविधा प्राप्त नहीं की है, प्रतिसंदेय अग्रिम के रूप में सुविधा देने और मोटर कार अग्रिम सहित गृह निर्माण अग्रिम की वर्तमान सीमा को तीन लाख रूपए से पांच लाख रूपए तक बढ़ाने का भी विनिश्चय किया गया है । इसीलिए हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) अधिनियम, 1971 में संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया है ।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

वीरभद्र सिंह,
मुख्य मन्त्री ।

शिमला :

तारीख ..... अप्रैल, 2005

वित्तीय ज्ञापन

विधयेक के खण्ड 2 और 3 के अधिनियमित किये जाने पर राजकोष से प्रतिवर्ष लगभग पैंतालीस लाख रूपए का अतिरिक्त आवर्ती व्यय होगा ।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 2 हिमाचल प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष को, उन शर्तों का उपबन्ध करने के लिए जिन पर कि भूतपूर्व सदस्यों को भवन निर्माण/मोटर कार अग्रिम मंजूर किया जा सकेगा, नियम बनाने के लिए सशक्त करता है । यह प्रत्यायोजन आवश्यक और सामान्य स्वरुप का है ।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

(नस्ति संख्या–जी0ए0डी0–सी(पीए) 4–3/2003)

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन विधेयक, 2005 की विषयवस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन, विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं ।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन विधेयक, 2005

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) अधिनियम, 1971 (1971 का 8) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक** ।

वीरभद्र सिंह,
मुख्य मन्त्री ।

सुरेन्द्र सिंह ठाकुर,
सचिव (विधि) ।

शिमला :

तारीख, ... अप्रैल, 2005.

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 14 of 2005.

THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY (ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS) AMENDMENT BILL, 2005.

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971 (Act No. 8 of 1971).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-sixth Year of the Republic of India, as follows:-

Short title

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Act, 2005.

Substitution of section 4-E

2. For section 4-E of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971 (hereinafter referred to as the 'principal Act'), the following new sections shall be substituted, namely:— 8 of 1971

"4-E. House building advance to ex-members.—There may be paid to such ex-members, who have not availed the facility of house building advance as a member, by way of repayable advance, such sum of money, subject to such conditions, as may be determined by rules made in this behalf, for the construction of a house or for the purchase of a built up house.

4-F. Advance of loan for purchase of motor car.—There may be paid to such ex-members, who have not availed the facility of motor car advance as a member, by way of repayable advance, such sum of money, subject to such conditions, as may be determined by rules made in this behalf, for the purchase of motor car .".

3. In section 6-B of the principal Act,— Amendment of section 6-B.

(a) in sub-section (1) ,—

(i) for the figures " 1500" the figures "5000" shall be substituted ;

(ii) in the first proviso, for the figures "150", the figures "200" shall be substituted ; and

(iii) second proviso shall be deleted ; and

(b) in sub section (5), the words, signs, figures and bracket " subject to a minimum of Rs. 1500/- per month (including Dearness Relief upto 1510 Consumer Price Index as on 1-1-1996)" shall be deleted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Due to sharp increase in the cost of living and the considerable expenses which the ex-members of the State Legislative Assembly have to incur on account of various demands of the public life, there has been persistent demand for the revision of their pension and Vidhan Sabha Members Amenities Committee have also recommended the revision of their pension, therefore, it has been considered necessary to enhance pension from Rs. 3720/- (including Dearness Relief upto 1510 Consumer Price Index as on 1-1-1996) to Rs. 5000/- per mensem to every person who has served for any period upto five years and also to enhance an additional pension from Rs. 150/- to Rs. 200/- per mensem for every year for a period exceeding first term. Further, it has also been decided to extend facility of motor car advance to ex-members who have not availed such facility as a member, by way of repayable advance and to enhance existing limit of House Building Advance from rupees three lakhs to rupees five lakhs including Motor Car Advance. This has necessitated the amendments in the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

VIRBHADRA SINGH,
Chief Minister.

SHIMLA:
The _____ April, 2005.

FINANCIAL MEMORANDUM

Clauses 2 and 3 of the Bill, when enacted, will entail additional recurring expenditure out of the State Exchequer to the tune of Rs. 45.00 lakhs per annum approximately.

MEMORANDUM REGARDING DELFGATED LEGISLATION

Clause 2 of the Bill seeks to empower the Speaker of the Himachal Pradesh Legislative Assembly to make rules to provide for the conditions on which the house building /motor car advance may be sanctioned to ex-members. This delegation is essential and normal in character.

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

(File No. No.GAD-C-(PA)-4-3/2003)

The Governor of Himachal Pradesh, after having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill, 2005, recommends, under article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill in the State Legislative Assembly.

THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY (ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS) AMENDMENT BILL, 2005.

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971 (Act No. 8 of 1971).

VIRBHADRA SINGH,
Chief Minister.

SURINDER SINGH THAKUR,
Secretary (Law).

SHIMLA:

The _____ April, 2005.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री,, हि0 प्र0, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित